

सेवा में,

मुख्य सचिव (समस्त राज्य सरकार)
प्रशासक (समस्त केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन)
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट/कलेक्टर (समस्त)

विषय : बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सेक्टर योजना में संशोधन 2016 - से संबंधित।

विभिन्न साझीदारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सेक्टर योजना, 2016 में निम्नानुसार कतिपय संशोधन किये गये हैं-

क्र.सं.	वर्तमान प्रावधानों का सारांश	संशोधित प्रावधान
1.	केन्द्र सरकार , राज्य सरकारों द्वारा सर्वेक्षण , जागरूकता निर्माण और मूल्यांकन अध्ययन पर किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति योजना [योजना, 2016 के पैरा 5{x,xi,xii}] में दी गयी निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर करेगी।	केन्द्र सरकार सर्वे, जागरूकता निर्माण और मूल्यांकन अध्ययन कराने के लिए वांछित धनराशि का 50 प्रतिशत अग्रिम देगी। राज्य सरकार प्रत्येक संवेदनशील जिले में प्रत्येक तीन वर्ष पर सर्वे करा सकती है। राज्य प्रतिवर्ष पांच मूल्यांकन अध्ययन करवा सकता है।
2.	जिलाधिकारी जिला एनसीएलपी सोसाइटी को वित्तीय दावा प्रस्तुत करेंगे, जो अपनी मांग केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगी। केन्द्र सरकार जिला एनसीएलपी सोसाइटी को धन जारी करेगी, जिसे सोसाइटी जिला प्रशासन को अवमुक्त करेगी।[योजना, 2016 का पैरा 6 एवं 7]	2016 के पूर्व की योजना में वर्णित धनराशि जारी करने का तरीका अपनाया जायेगा और वर्तमान एनसीएलपी के माध्यम से धन जारी करने की प्रथा इस बात के मद्देनजर समाप्त की जा रही है कि राज्य के कई जिलों में एनसीएलपी नहीं है। जिला प्रशासन अपनी वित्तीय मांग राज्य सरकार के बीएलआर से संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेजेगा और राज्य का मंत्रालय/ विभाग केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। राज्य के मंत्रालय/ विभाग के माध्यम से प्रस्ताव भेजे जाने से केन्द्र और राज्य दोनों को योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में आसानी होगी।
3.	जिला प्रशासन द्वारा मुक्त कराये गये व्यक्ति को आरोपित व्यक्ति की संज्ञा से जुड़े बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष से रुपये 20,000/- की तात्कालिक सहायता (17.01.2017 से धनराशि 5 हजार से बढ़ाकर 20 हजार कर दी गयी है)।[पैरा 5(xiv)]	सजा की कार्यवाई की स्थिति का ध्यान दिये बिना जिला प्रशासन द्वारा रुपये 20,000/- की तात्कालिक सहायता, मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर को उपलब्ध करायी जायेगी।
4(i)	2016 की योजना में संलग्न मुक्ति प्रमाण पत्र के प्रारूप में मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर की जाति की श्रेणी का उल्लेख नहीं है।	मुक्ति प्रमाण पत्र प्रारूप के क्रम संख्या 1 में निम्नलिखित अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जायेगी: “1. मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर का नाम व जाति की श्रेणी (यह आवश्यक है, क्योंकि बजट में अजा/अजजा के लिए अलग से प्रावधान है)
4(ii)	मुक्ति प्रमाण पत्र में सजा होने और मुक्ति आदेश जारी होने की तिथि होती है (इसका अर्थ है कि मुक्ति प्रमाणपत्र सजा की कार्यवाई पूरी होने पर दिया जायेगा)	मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर को सजा की कार्यवाई पूरी होने के पूर्व मुक्ति प्रमाणपत्र जारी करने की दृष्टि से इसे समाप्त करते हुए मुक्ति प्रमाण पत्र के प्रारूप में वर्तमान क्र. सं. 16 से 19 की प्रविष्टियों को परिवर्तित किया जाता है

2. अनुरोध है कि उपरिलिखित संशोधनों को सुनिश्चित करते हुए सभी संबंधितों को यह जानकारी उपलब्ध करायें।

ह/-

(ए.के. सिंह)

भारत सरकार के अवर सचिव
ईमेल -ajay.kumar67@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
2. गृह, विधि एवं न्याय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, वित्त, विदेश मंत्रालय।
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
4. भारत के निरीक्षक एवं महालेखाकार